

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

98

अधिसूचना

संख्या-4/वि1-10-05/2016 गृ0आ0...../ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 [बिहार अधिनियम 6, 2016] की धारा 8(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 अनुसूची के क्रम संख्या 18 में अंकित शब्द 'वनपाल' को 'वनो के क्षेत्र पदाधिकारी' तथा शब्द 'पर्यावरण एवं वन विभाग' को 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग' द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं।

यह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 6221 दिनांक 19.07.2018 को इस हद तक समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव



ज्ञापांक :-4/वि1-10-05/2016 गृ0आ0गृ0आ0 /पटना, दिनांक2019
प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय गुदणालय, गुलजारबार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसको 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजन हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :-4/वि1-10-05/2016 गृ0आ0गृ0आ0 /पटना, दिनांक 21/8/2019
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रधान सचिव
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना
सं.सं.सं.सं.सं. 5243

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक:-वन क्षेत्र पदा0-13/2016-3099 /प०व० पटना-15, दिनांक-30/8/19
प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव